

3526

रु 2000/- एच 949. रु 70,000/- 3462 5000Rs.



19

20-8-95

निष्ठादि अन्तर्गत रुक के इतने ही

निष्ठादि अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही

विशेष का नाम वरिष्ठ (1) के द्वारा रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही
 अन्तर्गत रुक के इतने ही

Under Indian Stamp Act 5000.00
 Under Judicial Act
 Under M.A.B.A. 3500
 2608 9400/-

Att - 1400.00
 N@ 54.00
 1454.00

Cal - 250
 94
 3.44


1457.44
 215

- बिक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज -

केवाला दाता :- श्री भुनेश्वर यादव, पिता श्री राम स्वस्व यादव,
 जाति-यादव, पेशा-व्यवसाय, साकिम-बापु-नगर कार्मिक भवन सराय-
 देला, धनबाद थाना-सरायदेला, जिला-धनबाद । भारतीय।

केवाला गृहिता :- श्री युगल किशोर दास, पिता श्री बुधलाल राम,
 जाति-वासार, पेशा- नौकरी, साकिम-गौधी नगर धनबाद, थाना-
 धनसार, चौकी सब रजिस्ट्री एवं जिला-धनबाद । भारतीय।

001879/03



422/03-04
Yugal Kishore Das
Gandhi Nagar, Dhanbad.

9,400/- (5000 + 1000 x 4 + 100 x 4)
@ 3/5/03

सुवनेश्वर पादक
29-2-03

29/2/03 2/99

सुवनेश्वर

सुवनेश्वर पादक

सुवनेश्वर पादक

सुवनेश्वर पादक

सुवनेश्वर पादक



29-5-03

सुवनेश्वर

सुवनेश्वर

सुवनेश्वर

सुवनेश्वर

101
29/2/03

सुवनेश्वर पादक
29-2-03

102
29/2/03





मुबने २७२१६०
२१-२-०३

-2-

बिक्रय-पत्र । केवाला दस्तावेज ।

मूल्य-70,000/-रुपये । सत्तर हजार रुपये ।

सलाना मालगुजारी-40 पैसा । वालीस पैसा मात्र ।

अंचल कार्यालय-धनबाद मालिक जमींदार-झारखण्ड सरकार।

तपशील :- जिला धनबाद चौकी सब रजिस्ट्री धनबाद, थाना-धनबाद
हाल-थाना-सरायटेला अन्तर्गत " साबलपुर " मौजे में मेरा कायमी
रैयती स्वत्व का खरीदा खास-दखली जमीन, मौजा नं०-11. खाता
नं०-15 । पन्द्रह । सामिल प्लोट नं०- 636 । छः सौ छत्तीस ।
अंश रकवा 05 कटठा । पाँच कटठा । यानि 8.25 डिसमिल जमीन



२५ नवंबर २०२१
२१-२-०३

-3-

ईस दस्तावेज द्वारा आपको बिक्री किया, जो ईस दस्तावेज के साथ
दिये गये नक्शा में बिक्रीत स्थान को लाल रंग से दर्शाया गया है।


जिसका चौहद्दी-

उत्तर : प्लोट नं०-635.

दक्षिण : दाता का नीज जमीन,

पुरब : दाता का नीज जमीन,

पश्चिम: 16 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।



अपने 2002/1/54
27.2.03

-4-

उपरोक्त चौहददी मुताबिक 05 कठ्ठा यानि 8.25 डिसमिल जमीन
इस दस्तावेज द्वारा बिक्री किया।

उपरोक्त जमीन मेने धनबाद सब रजिस्ट्री ओफिस में रजिस्ट्री किया
गया ई0 2001 साल का 5573 नं0 केवाला दस्तावेज द्वारा खरीद
कर खास दखले में भोग दखल करते आ रहे है एवं ई0 2002 साल का
5382 नं0 केवाला दस्तावेज द्वारा श्री राम नरेश सिंह से खरीद कर
खास-दखल में भोग दखल करते आ रहे है, तथा अंचल कार्यालय-धनबाद




मुकने 207 नं०
२०.२.६४

-5-

में 207 नं० थोका में सलाना मालगुजारी आदाय देते आ रहे है।

उपरोक्त सम्पत्ति हस्तान्तरण हेतु शहरी भू-हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26(1) के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी धनबाद को सूचना दी गई थी जिसका सूचना संख्या-51/03 दिनांक-15-1-03 है, 60 दिन के अन्दर सक्षम पदाधिकारी धनबाद की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति की सूचना प्राप्त नहीं हुआ है अतः 60 दिन के बाद आज उक्त दस्तावेज निबंधन के लिए पेश किया।




सुबनेर २०१८
२९-४-०९

-6-

चुँकि बिक्रय-पत्र का बिबरण यह है कि मुझे संसारिक खर्च के लिए रुपये की अति आवश्यकता आ पड़ी है इसलिए बिबरण में दिये गये जायदाद को बिक्री करने के लिए आपसे प्रार्थना करने पर आप उसे खरीद करने के लिए राजी हुए इसप्रकार दोनों पक्षों की सहमति से उक्त जायदाद का समयोचित सर्वोच्च मूल्य-70,000/-रुपये तय हुआ और उक्त मूल्य में ही उक्त जायदाद को आपको बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया।

उपरोक्त जायदाद पर मेरा जिस प्रकार का हक-अखितयार दावी-दावा आदि था आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त जायदाद पर मकान आंगन कुँआ बगान-बगिचादि तैयार कर नीज वसवास या किराया बन्दो बस्त कर अपना इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्वप्रकार के हस्तान्तरण का



अपने २०१५/१६
२९-४-०३

-7-

मालिक होकर वंश परम्परा से पुत्र-पौत्रादि संव वारीसन के साथ सदा के लिए भोग दखल करते रहे इसमें हम या हमारा वारीसन किसी प्रकार का वजुर या स्तराज नहीं कर सकता है और करने पर भी वह कानून के मुताबिक नामंजूर होगा।

उपरोक्त जायदाद का सलाना मालगुजारी मालिक जमींदार झार-
खण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज
करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे।





अवगतो २०१५/१६
२१-५-०३

-8-

उपरोक्त जायदाद मेरा खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके वंशज को क्षति पहुँचे तो हम या हमारा वारीसन क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे।

अतः हम अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह विक्रय-पत्र सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवें। ईति दिनांक-21-5-2003



अवनेश्वर पादव
29-2-03

-9-

दस्तावेज का प्राख्य बनाया एवं दोनों पक्षों की पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।

[Signature]
21-5-03
Adv. Dhanooj

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक दुसरे की हबहु और सच्ची प्रति लिपि है।

-गवाहगण-

1- *[Signature]* Santosh Kumar
Hirabur

अवनेश्वर पादव
29-2-03

2- इरीश कुमार 'आर्य'
नीलाचल कॉलोनी, जिला कुसमा

टंकक